न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/75/रा.भू–रा.अधि./01/2016/जैसलमेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
सरपंच ग्राम पंचायत रासला व आम ग्रामीण सांवता तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर।	बनाम	1. श्रीमान जिला कलक्टर जैसलमेर 2. श्रीमान तहसीलदार फतेहगढ 3. मै. राजगढ विण्ड पार्क प्राईवेट लिमिटेड रजि. ऑफिस 8 No. 334 Hupurait Park 'B' Block Flor Old Mahadaitpu Ram Road सोलीकापुर चैन्नई 6600119।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व जिला कलक्टर जैसलमेर के क्रमांक प.12 (3) (28) (रजि.नं 111/2004) राजस्व/2011/2/38 दिनांक 01.04.2015 के विरूद्ध पेश।

उपस्थित

1. वकील श्री केसरसिंह भाटी अपीलान्ट की ओर से।
2. राजकीय अभिभाषक श्री हाजी खां रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 की ओर से।
3. वकील श्री मुरलीधर जोशी रेस्पोडेंट संख्या 03 की ओर से।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः– 15.03.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा सावंता में किया गया आवंटन जिला प्रशासन जैसलमेर व मै. राजगढ विण्ड पार्क प्रा. लि. द्वारा आपसी मिलीभगती द्वारा करवाया गया हैं। तथा मौके की स्थिति राजस्व रेकर्ड आदि का ध्यान नही रखकर तथा वास्ततिक तथ्यों को छिपाकर कानूनन आवंटन नल एण्ड वोईड किया गया हैं। मौजा सांवता में किये गये आवंटन के खसरों की भूमि मौके पर माता देगराय की ओरण की भूमि हैं। तथा मौके पर औरण मौजुद है तथा ओरण में जाल व बोरड़ी, कुमट विद्यमान हैं। जिसकी ग्रामीण लोग रक्षा करते हैं। समरी बन्दोबस्त होने पर समरी खसरा संख्या 205 रकबा 150 बीघा गैर मुमकिन ओरण श्री आईनाथ जी की व समरी खसरा संख्या 6 रकबा 100 बीघा गैर मुमकिन ओरण समरी खसरा संख्या 207 में रकबा 10 बीघा गैर मुमकिन ओरण, समरी खसरा संख्या 208 रकबा

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

48000 बीघा गैर मुमकिन ओरण श्री आईजी का देगवाला के नाम से दर्ज की गई। पर्चा लगना जमाबन्दी, गिरदावरी, ढाल बांच, कम्परेटिव रजिस्टर आदि राजस्व रेकर्ड में आईनाथ देगराय माता के नाम से गैर मुमकिन ओरण दर्ज है। स्थाई बन्दोबस्त होने पर भू–प्रबंधक विभाग द्वारा इन्द्राज को बदलकर किस्म गैर मुमकिन मगरा, बंजड़ आदि दर्ज की गई हैं। भू–प्रबंधक विभाग को विद्यमान प्रविष्टि को बदलने का अधिकार नही था। जिसे सक्षम न्यायालय में सुनवाई का अवसर दिये बिना इन्द्राज बदलने का अधिकार नहीं था। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि मौजा सावंता में किया गया आवंटन मौके की स्थिति राजस्व रेकर्ड आदि का ध्यान नही रखकर तथा वास्तविक तथ्यों को छिपाकर कानूनन आवंटन नल एण्ड वोईड किया गया हैं। मौजा सांवता में किये गये आवंटन के खसरों की भूमि मौके पर माता देगराय की ओरण की भूमि हैं। स्थाई बन्दोबस्त होने पर भू–प्रबंधक विभाग द्वारा इन्द्राज को बदलकर किस्म गैर मुमकिन मगरा, बंजड़ आदि दर्ज की गई हैं। भू–प्रबंधक विभाग को विद्यमान प्रविष्टि को बदलने का अधिकार नही था। भू–प्रबंधक विभाग को केवल मात्र दर्ज इन्द्राजो को दौहराने का अधिकार था। सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना उसमें विद्यमान प्रविष्टि को बदलने का अधिकार नही था। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 की ओर से बहस करते हुए बताया कि समरी बंदोबस्त अंदाजिया था। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि विद्यमान प्रविष्टि को बदला गया था। आंवटित भूमि वर्तमान में मौके पर पेड़ों के अलावा खाली है एवं विवादग्रस्त नहीं है। प्रस्तावित औरण भूमि होने पर कोई धार्मिक एवं सामाजिक विवाद नही है। प्रस्तावित भूमि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय से प्रभावित नहीं है। अतः अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

रेस्पोडेंट संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि विवादित भूमि का रेस्पोडेंट संख्या 03 को राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात नियमानुसार आवंटन किया गया है। भूमि आवंटन आदेश में किसी भी प्रकार की त्रुटि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। अतः अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। अधिवक्ता अपीलांट ने बताया कि कम्पनी द्वारा मौके पर विण्ड मील की स्थापना करने के कार्य शुरू किया तब ओरण की भूमि विण्ड कम्पनी को आवंटित होने की जानकारी प्राप्त हुई तथा जानकारी होने के 30 दिन के भीतर समस्त राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त कर जानकरी होने की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर पेश है एवं अपील पेश करने में हुए विलंब का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

अपीलांट के कथनों पर विश्वास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांट सरपंच ग्राम पंचायत रासला व आम ग्रामीण मौजा सांवता तहसील फतेहगढ़ द्वारा अपील में यह कथन किया है कि जिला कलक्टर जैसलमेर द्वारा अपीलाधीन आवंटन आदेश में आवंटन के खसरों की भूमि मौके पर माता देगराय की औरण की भूमि है तथा मौके पर औरण मौजूद है। इस संबंध में रिकॉर्ड पर ऐसा कोई राजस्व अभिलेख नहीं है जो इस कथन की पुष्टि करता हो। वास्तव में उक्त विवादित आवंटित भूमि राजकीय सिवायचक भूमि किस्म गैर मुमकिन मगरा व बंजर राजस्व रिकॉर्ड में अभिलिखित होने से जिला कलक्टर जैसलमेर द्वारा आवंटन के क्षेत्राधिकार के अधीन है। विवादित भूमि के संबंध में इस अपील को दायर करने के तीन दिन बाद याचिकाकर्ता ने हस्तगत प्रकरण में उठाये गये कमोबेश बिंदुओं को आधार मानकर दिनांक 18.07.2016 को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में S.B. Civil Writ

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

Petition No. 6533/2016 के तहत प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसे बाद सुनवाई खारिज किया गया। इसमें द्वितीय स्थगन प्रार्थना–पत्र भी दिनांक 18.04.2017 को माननीय न्यायालय द्वारा पुनः खारिज किया गया। अपीलाधीन आवंटन आदेश 2011/2138 दिनांक 01.04.2015 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटित भूमि गैर मुमकिन मगरा, बारानी एवं बजड़ किस्म की है न कि औरण की जो राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–3) विभाग के पत्रांक प.2(330)राज/3/2013 दिनांक 20.03.2015 द्वारा भूमि आवंटन की स्वीकृति के तहत आवंटित की गई है जिसे सक्षमस्विकृति मानते हुए खारिज करने का कोई युक्तिसंगत कारण विद्यमान नहीं है।

लिहाजा इन सब तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट की अपील को तथ्यों से परे होने के कारण खारिज करना उचित होगा।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक प. 12(3)(28)(रजि.नं. 111/2004) राजस्व 2011/2138 दिनांक 01.04.2015 को यथावत रखा जाता है।

15/3/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 15.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/3/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner